कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009
दूरभाष/TELE: 040-27843385 फैक्स/FAX:040-27810499
(ई-मेल/Email id: secd-anpaysn-cda@nic.in)

सं. प्रशा/वेतन/5043/आयकर/पत्राचार

दिनांक: 06.03. 023

(महत्वपूर्ण परिपत्र)

सेवा में
र.ले.नि., सिकंदराबाद के अधीन सभी उप-कार्यालय
मुख्य कार्यालय में सभी अनुभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सा.भ.नि. अंशदान और आयकर कटौती में परिवर्तन ।

इस संगठन में सेवारत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित विवरण दिनांक **10 मार्च 2023** तक अनिवार्य रूप से भेजें।

क) वर्ष 2023-24 के लिए प्रभावी तारीख 03/2023 से सा.भ.नि. अंशदान में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सा.भ.नि. अंशदान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सा.भ.नि. नियमों के अनुसार अनुमेय अधिकतम/न्यूनतम सीमा के भीतर हो और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह 5 लाख की कुल सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192(1) के अनुसरण में, आहरण और संवितरण अधिकारी को वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारियों को दिए गए वेतन पर आयकर की कटौती का कर्तव्य सौंपा गया है और वेतन से आयकर की कटौती किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुमानित आधार पर परिकलन किया जाएगा और तदनुसार वसूली की जाएगी।

आगे, वित्त विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित धारा 115BAC, आयकर अधिनियम, 1961, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार नई कर-व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर-व्यवस्था है, तथापि, करदाताओं के पास आयकर कटौती की पुरानी व्यवस्था को चुनने का विकल्प है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लिए दर/परिकलन।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे विधिवत 'पुरानी कर व्यवस्था' को चिह्नित करते हुए अपने विकल्प का प्रयोग करें ताकि यह कार्यालय ट्यूलिप पीएमएस में विकल्प को अपडेट करने में सक्षम हो सके। एक बार चुना गया विकल्प वित्तीय वर्ष के अंत तक यथा 31.03.2024 तक अंतिम होगा।

आगे यह सूचित किया जाता है कि

1. नई कर-व्यवस्था में, कुल सकल आय का परिकलन किसी विशिष्ट कटौती और छूट आदि का दावा किए बिना किया जाएगा।
2. पुरानी कर-व्यवस्था में, 2022-23 तक लागू होने वाली सभी छूटों और कटौतियों को परिकलन में लेना जारी रहेगा।

सभी अधिकारी और कर्मचारी जो 'पुरानी कर-व्यवस्था' का चयन कर रहे हैं, उनसे यह भी अनुरोध है कि वे अपने आयकर बचत दस्तावेज़ (जैसे किराया रसीद, एलआईसी प्रीमियम रसीद, पीपीएफ रसीद, गृह ऋण के लिए अनंतिम भुगतान प्रमाण-पत्र, शिक्षा-शुल्क रसीद आदि) विधिवत स्वयं-सत्यापित करके, नाम, खाता संख्या जैसे विवरण के साथ दिनांक 01.09.2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करें ताकि यह कार्यालय कर-देयता की राशि का सही परिकलन कर सके और तदनुसार आयकर की वसूली कर सके।

उपरोक्त के प्रकाश में, र.ले.नि., सिकंदराबाद के अधीन सेवारत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उनकी सकल आय के अनुसार कटौती के लिए सा.भ.नि. अंशदान और आयकर की राशि का उल्लेख करें।

कृपया इस परिपत्र के अंशों को आपके कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए, जिसमें छुट्टी पर रहने वाले अधिकारी/कर्मचारी भी शामिल हैं और अंशों को नोट करवाकर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करें और अपने अभिलेख में रखें।

हस्ता/-
(एस. वत्सला)
ग्रूप अधिकारी (प्रशा/वेतन)

प्रतिलिपि:
लेखा अधिकारी,
ई.डी.पी. (स्थानीय) : वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

श्रीनिवास राव

(श्रीनिवास राव वुलिचि)
लेखा अधिकारी (प्रशा/वेतन)